न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-526RAAJodhpur2022-203RTA223 Girdhariram Vs Lrs of Lalaram etc

गिरधारीराम पुत्र श्री भूराराम जाति जटिया, निवासी- तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. लालाराम पुत्र श्री भूराराम के कायम मुकामः -
   1.1. गौतम पुत्र स्व. श्री लालाराम
   1.2. नरेश पुत्र स्व. श्री लालाराम
   1.3. प्रवीण पुत्र स्व. श्री लालाराम
   1.4. छोटी देवी पत्नी स्व. श्री लालाराम
2. जवरी लाल पुत्र भूराराम
   सभी जातियान् जटिया, निवासीगण- गांव हीरादेसर, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
3. प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गंगाणी, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 124/2021 लालाराम बनाम गिरधारी इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/4

श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 04

नि र्ण य

दिनांक : 16 अक्टूबर 2023

16.10.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 124/2021 लालाराम बनाम गिरधारी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 508, 509, 510/554 कुल रकबा 4.9695 हैक्टेयर ग्राम हीरादेसर तहसील भोपालगढ के संबंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी तहसीलदार भोपालगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 20 जून 2022 को आलौच्य निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ड्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी अथवा नक्शें का प्रदर्श ही नहीं करवाया गया है तथा वादी द्वारा अपने वाद में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सहखातेदार द्वारा अपने हिस्से

16.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की भूमि को रहन रखा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन प्रत्येक सहखातेदार को प्रत्येक खसरे में उनके दर्ज हिस्से अनुसार भूमि दी जानी चाहिए थी, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर पक्षकारान् के साथ भेदभाव किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट के पिता स्व. भूराराम की पर्चा लगान की है, स्व. भूराराम के तीन पुत्र लालाराम, गिरधारी एवं जवरीलाल है। प्रतिवादी संख्या तीन- किस कानून के आधार पर वादग्रस्त आराजी में बंटवाड़ा का हकदार हो जाता है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवाड़ा प्रस्ताव विभाजन नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किया गया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जानकारी रेस्पोडेंट प्रवीण के जरिये दिनांक 18.11.2022 को उस समय हुई जब वह खसरा नं. 508 व 509 में अपनी इच्छानुसार बांउड्री वाल बनाने के लिए पत्थर डालने लगा, जानकारी होने पर अपीलार्थी मौके पर पहुंचा, तब प्रवीण ने बताया कि बंटवाड़ा की डिक्री दिनांक 20.06.2022 के अनुसार मुटाम लगा रहा हू। तब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.11.2022 को भोपालगढ आकर नकल प्राप्त की , जिसे पढने पर प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलार्थी ने जानबूझ कर या उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है, उक्त विलंब सद्भावी था, जो क्षम्य योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील अंदर म्याद शुमार की जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

16/X/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 124/2021 लालाराम बनाम गिरधारी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2022 को खारिज फरमाया जावे

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/4 ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्यक रूप से तामील करवायी गई, जिसके बावजूद भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का मिथ्या कारण बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मुताबिक अपीलांट पर तामील हेतु भेजे गये रजिस्टर्ड ए.डी. की पावति विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन 29.09.2021 जो पत्रावली को लोक अदालत केन्द्र राजीव

16.X.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गांधी सेवा केन्द्र हीरादेसर पर रखे जाने की सूचना हेतु जारी किया गया, उक्त सम्मन की भी अपीलांट पर तामील नहीं करवाया जाना पाया जाता है। जिससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक रूप से तामील नहीं करवायी जाकर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.05.2022 के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त अपीलांट को सूचित किया जाना नहीं पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने तथा विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 124/2021 लालाराम बनाम गिरधारी इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभ पक्ष की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम {राजस्व मण्डल} नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना हेतु तहसीलदार भोपालगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.4.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर